

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-126/20 (2020/00215) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. सुख लाल पिता गोकल भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
प्रार्थी

बनाम

1. कस्तुर पिता रूपा भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नन्दा पिता मोडा भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बालु पिता मोडा भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. आसु पिता किशना भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पिता किशना भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. धर्मा पिता किशना भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रतन पिता किशना भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बंशी पिता किशना भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. कस्तुर पिता गोकल भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मूला पिता गोकल भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. डालु पिता गोकल भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. गट्टू बेवा गोकल भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. नाथु पिता जोधा भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. डाली बेवा जोधा भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. राजु नायक, अमरसिंह चारण -

निर्णय

प्रार्थी अधिवक्ता

दिनांक 03.11.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम थला के मजरा भीलखेड़ी पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1885/1306 रकबा 1.23 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत 2071 से 2074 तक के खाता संख्या 367 मय नक्शा ट्रेस व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फॉटोकोपी साथ प्रस्तुत की है। मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा





लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 15.09.2020 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 08.10.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 2 लगायत 11, 13, 16 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। एवं विपक्षी संख्या 1, 12 व 14 के फोट हो जाने से प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। एवं विपक्षी संख्या 15 उपस्थित होकर पत्थरगढी कराने में कोई ऐतराज नही करते हुए पत्रावली कर हस्ताक्षर किये गये। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थला के मजरा भीलखेड़ी पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1885/1306 रकबा 1.23 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें और मौके पर बिना किसी के कब्जे में दखल किये सीमांकन कराया जावे तथा मौके पर खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो पर्चा मौका में इसका अंकन करते हुए उस कब्जे शुदा रकबे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट में पेश करे एवं खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




3-11-2020
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-126/20 (2020/00215) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. सुख लाल पिता गोकल भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. कस्तुर पिता रूपा भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नन्दा पिता मोडा भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बालु पिता मोडा भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. आसु पिता किशना भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पिता किशना भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. धर्मा पिता किशना भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रतन पिता किशना भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बंशी पिता किशना भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. कस्तुर पिता गोकल भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मूला पिता गोकल भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. डालु पिता गोकल भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. गट्टू बेवा गोकल भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. नाथु पिता जोधा भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. डाली बेवा जोधा भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 29.10.2020 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम थला के मजरा भीलखेड़ी पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1885/1306 रकबा 1.23 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कल रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)